मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 02 नवंबर

जामिया मिल्लिया में विकलांगता के सामाजिक कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के :जेएमआईः विधि विभाग में विकलांगता के सामाजिक–कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। इसका उद्देश्य विकलांगता के अंतःविषयक और बहुःविषयक आयामों को जानना है। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

विधि विभाग की डीन नुज़हत परवीन खान ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने जामिया के इस विभाग और उसकी गतिविधियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में जीवंत अकादमिक चर्चा के ज़रिए सामाजिक एवं कानूनी नज़रिए से भारत में विकलांगता के विभिन्न पहलुओं को समझना इस संगोष्ठी का मक़सद है।

विकलांगों को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर उपलब्ध कराने के रास्ते में पेश बाधाओं को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे अधिवक्ता संतोष कुमार रूंगटा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

उच्चतम न्यायालय के ज़रिए नेत्रहीनों को नागरिक सेवाओं में शामिल किए जाने से लेकर विकलांगों को आरक्षण दिलाने तक में श्री रूंगटा की बड़ी भूमिका रही है।

श्री रूंगटा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी विकलांग लोगों को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए और इसके लिए उन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच संस्था के सचिव श्री मुरलीधरन ने विकलांगता से जुड़ी ''कलंकता'' और पूर्वाग्रहों को समाप्त किए जाने के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत बताई।

संगोष्ठी के सह संयोजक श्री रशीद ने कहा कि संगोष्ठी में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकलांगों को कैसे एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके।

अपने समापन संबोधन में प्रो खान ने बताया कि इस संगोष्ठी में उभरे विचारों से वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अवगत कराएंगी जिससे इनके आधार पर विकलांगों के जीवन को और सम्मानजनक बनाया जा सके।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर